दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 13.07.2023
निर्णय उद्घोषित: 26.07.2023

<u>रि.या.(सि.). 6217/2023 और सि.वि.आ. 24446/2023</u>

जिंदल निर्यात और आयात प्राइवेट लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वेद जैन और श्री निश्चय कंतूर, अधिवक्तागण

बनाम

आयकर उपायुक्त मण्डल 13(1), दिल्ली और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री गौरव गुप्ता, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री शिवेंद्र सिंह और श्री पुनीत सिंघल, स्थायी अधिवक्तागण ।

<u>रि.या.(सि.). 6891/2023 और सि.वि.आ. 26869/2023</u>

किरण क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वेद जैन और श्री निश्चय कंतूर, अधिवक्तागण |

बनाम

आयकर उपायुक्त मण्डल 13(1), दिल्ली और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री गौरव गुप्ता, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री शिवेंद्र सिंह और श्री पुनीत सिंघल, स्थायी अधिवक्तागण।

<u>रि.या.(सि.). 6884/2023 और सि.वि.आ. 26860/2023</u>

किरण क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वेद जैन और श्री निश्चय कंतूर, अधिवक्तागण |

बनाम

आयकर उपायुक्त मण्डल 13(1), दिल्ली और अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री गौरव गुप्ता, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री शिवेंद्र सिंह और श्री पुनीत सिंघल, स्थायी अधिवक्तागण ।

<u>रि.या.(सि.). 6183/2023 और सि.वि.आ. 24310/2023</u>

जिंदल निर्यात और आयात प्राइवेट लिमिटेड ... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री वेद जैन और श्री निश्चय कंतूर, अधिवक्तागण |

बनाम

आयकर उपायुक्त मण्डल 13(1), दिल्ली और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री गौरव गुप्ता, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री शिवेंद्र सिंह एवं श्री पुनीत सिंघल, के साथ स्थायी अधिवक्तागण |

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर
माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

<u>न्या., गिरीश कठपालिया</u>

1. तथ्यात्मक मैट्रिक्स और कानूनी मैट्रिक्स समान होने के कारण, इन चार रिट याचिकाओं को निपटान के लिए एक साथ लिया जाता है। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और प्रासंगिक कानूनी स्थिति की जांच की।

2. इन रिट याचिकाओं में याचीगण ने अधिनियम की धारा 148क(ख) के तहत नोटिस की वैधता और अधिनियम की धारा 148क(घ) के तहत आदेशों को चुनौती दी हैं। हालाँकि, याचिकाओं का निपटान बाकी आधारों का खंडन किए बिना उन आधारों में से किसी एक पर किया जा सकता है।

3. सुविधाजनक संदर्भ के लिए, इन रिट याचिकाओं की प्रासंगिक तिथियां और विवरण नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं:

रिट याचिका	निर्धारणन वर्ष	अधिनियम की धारा	अधिनियम की धारा	अधिनियम की धारा	अधिनियम की धारा	अधिनियम की धारा

सं. डब्ल्यूपी (सि)		148 के तहत नोटिस की तारीख	148क (ख) के तहत नोटिस जारी करने की तिथि	148क(ख) के तहत नोटिस देने की तारीख	148क(ख) के तहत नोटिस का जवाब देने की तारीख	148क(घ) के तहत आदेश की तारीख
6217/2023	2013-14	28.06.2021	02.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	30.07.2022
6891/2023	2013-14	23.04.2021	02.06.2022	08.06.2022	19.06.2022	30.07.2022
6884/2023	2014-15	03.06.2021	20.06.2022	08.06.2022	19.06.2022	30.07.2022
6183/2023	2014-15	23.04.2021	02.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	30.07.2022

4. जिन आधारों पर इन रिट याचिकाओं का निपटान किया जा सकता है, उन आधारों में से एक निम्नलिखित है। याचीगण के अनुसार, अधिनियम की धारा 148क(ख) के तहत दिनांक 02.06.2022 के नोटिस, जो दिनांक 08.06.2022 पर याचीगण को मेल किए गए थे, दिनांक 03.06.2022 के बाद प्रभावहीन हो चुके थे, इसलिए, नोटिस के साथ-साथ अधिनियम की धारा148क(घ) के तहत परिणामी आदेशों को ख़ारिज किया जा सकता है।

5. समय सीमा के मुद्दे पर, **भारत संघ बनाम आशीष अग्रवाल**, 2022(5) टी.एम.आई. 240एस.सी. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) द्वारा जारी स्पष्टीकरणात्मक

निर्देश संख्या 1/2022 दिनांकित 11.05.2022 द्वारा खंडन करना उचित होगा, जिसके प्रासंगिक हिस्से इसके बाद निकाले जाते हैं:

> *7.0* ***ऐसे मामले जहां कर निर्धारण अधिकारी को 30 दिनों के भीतर जानकारी और तथ्य प्रदान करने की आवश्यकता होती हैः***
>
> ***माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी मामलों में 30 दिनों के भीतर जानकारी और तथ्य प्रदान किये जाने चाहिए।*** *हालाँकि, यह भी देखा गया है कि निर्धारण वर्ष (नि.व.)2013-14, नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के लिए किसी मामले में नोटिस जारी नहीं किए जा सकते हैं, यदि उस मामले में उस वर्ष के लिए मूल्यांकन से बचने वाली आय पचास लाख रुपये से कम है या होने की संभावना है। इसलिए, निर्धारती के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि नि.व. 2013-14, नि.व. 2014-15 और नि.व. 2015-16 के किसी मामले में जानकारी और तथ्य प्रदान नहीं किये गए है, यदि उस मामले में उस वर्ष के लिए मूल्यांकन से बचने वाली आय पचास लाख रुपये से कम है या होने की संभावना है। इन मामलों के निपटान की प्रक्रिया के संबंध में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।*
>
> ***8.0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करने के लिए कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाः***

8.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार हैः

- *विस्तारित पुनर्मूल्यांकन नोटिसों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अधिनियम की धारा 148क के खंड (ख) के तहत कारण बताओ नोटिस माना जाता है। इसलिए, उस कारण बताओ नोटिस से पहले नए कानून की सभी आवश्यकताओं का पालन किया गया माना जाएगा।*
- *निर्धारण अधिकारी उपरोक्त अनुच्छेद 7.1 में स्पष्टीकरण के अनुसार मामलों को बाहर करेगा।*
- ***30 दिनों के भीतर, यानी 2 जून 2022 तक, कर निर्धारण अधिकारी शेष मामलों में, विस्तारित पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए जिस जानकारी और तथ्य पर भरोसा किया गया है, उसे निर्धारिती को प्रदान करेगा।***
- *निर्धारिती के पास यह जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए, जो उस जानकारी के आधार पर है कि कर के लिए प्रभार्य आय संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए उसके मामले में मूल्यांकन से बच गई है। दो सप्ताह की अवधि की गणना निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को सूचना और तथ्य के अंतिम संचार की तारीख से की जाएगी।*

- *माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस अवलोकन को ध्यान में रखते हुए कि नए कानून के सभी बचाव निर्धारिती के लिए उपलब्ध हैं, यदि निर्धारिती एक आवेदन करके अनुरोध करता है कि उसे कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए, तो ऐसे अनुरोध पर निर्धारण अधिकारी द्वारा गुणागुण के आधार पर विचार किया जाएगा और निर्धारण अधिकारी द्वारा समय बढ़ाया जा सकता है जैसा कि अधिनियम की नई धारा 148क के खंड (ख) में प्रदान किया गया है।*
- *उत्तर प्राप्त करने के बाद, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती के उत्तर सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय लेगा कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना उचित मामला है या नहीं। नए कानून के निर्धारण अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ, निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 148क के खंड (घ) के तहत एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है। यह आदेश उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर पारित किया जाना आवश्यक है जिसमें उसे निर्धारिती से जवाब प्राप्त होता है। यदि निर्धारिती द्वारा ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, तो आदेश को उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर पारित करने की आवश्यकता होती है जिसमें उत्तर देने के लिए दिया गया समय या विस्तारित समय समाप्त हो जाता है।*

- *यदि <u>अधिनियम की धारा 148 के तहत</u> नोटिस जारी करना का एक उपयुक्त मामला है, तो निर्धारण अधिकारी नए कानून की <u>धारा 151 के तहत</u> विशिष्ट प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद <u>धारा 148 के तहत</u> निर्धारिती को नोटिस देगा। <u>अधिनियम की धारा 148क के खंड (घ) के तहत</u> पारित आदेश की प्रति भी <u>धारा 148 के तहत नोटिस</u> के साथ दी जाएगी।*
- *यदि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना उपयुक्त मामला नहीं है, तो धारा 148क के खंड (घ) के तहत पारित आदेश निर्धारिती पर लागू किया जाएगा।"*

[हमने जोर दिया]

6. अधिनियम की धारा 148क (ख) के तहत आक्षेपित नोटिस, जिन्हें 03.06.2022 के बाद मेल किया गया है, न केवल ऊपर उद्धृत सीबीडीटी निर्देशों के अधिदेश को निरस्त करते हैं, बल्कि अधिनियम की धारा 282क के प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इसे जारी करने वाले संबंधित अधिकारी के नाम और पदनाम का इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

7. ऐसा होने पर, इन रिट याचिकाओं में अधिनियम की धारा 148क(ख) के तहत दिए गए नोटिसों को कायम नहीं रखा जा सकता है।

8. ***एल.एस.आर. मेडिकल प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड डी.सी.आई.टी. मण्डल 13(1) और अन्य*** रि.या.(सि.)5129/2023 के मामले में, इस अदालत की एक समन्वित पीठ द्वारा 24.04.2023 पर निर्णय लिया गया जिसमें हम में से एक (न्या. राजीव शकधर.) सदस्य थे जिन्होंने इसी आधार पर रिट याचिका की अनुमति दी।

9. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इन रिट याचिकाओं में लगाए गए अधिनियम की धारा 148क (घ) के तहत नोटिस और अधिनियम की धारा148क(घ) के तहत आदेशों को, जो इन रिट याचिकाओं में आक्षेपित हैं, रद्द कर दिया जाता है| हालांकि, प्रत्यर्थी/राजस्व को कानून के अनुसार आगे कदम उठाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए याचिकाओं को अनुमति दी जाती है|

10. नतीजतन, लंबित आवेदनों का भी निपटान कर दिया जाता है।

(गिरिश कठपालिया)
(न्या.)

(राजीव शकधर)
(न्या.)

26 जुलाई, 2023/एएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*